

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016—आषाढ़ 3, शक 1938

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2016

क्र. एफ 3-1-2015-पैतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 8 में, उप नियम (1) में—

(एक) खण्ड (ग) में,—

(एक) उपखण्ड (एक) में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(दो) उपखण्ड (दो) में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (झ) में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (ञ) में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

2. अनुसूची-एक, में, अनुक्रमांक-8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"8.	(1) वरिष्ठ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	—	308	308	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे (5500-175-9000)	पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की 10 वर्ष की सेवा उपरांत पदोन्नति द्वारा
8.क	(2) पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	—	1100	1100	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	9300-34800+ 3200 ग्रेड पे (5000-150-8000)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की 12 वर्ष की सेवा उपरांत पदोन्नति द्वारा
8.ख	(3) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	986	3324	4310	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	9300-34800+ 3200 ग्रेड पे (5000-150-8000)	12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर कार्य अच्छा होने के मूल्यांकन पर
						5200-20200+ 2400 ग्रेड पे (4000-100-6000)	90 प्रतिशत सीधी भर्ती से चयन एवं 10 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत।"।
	योग	986	4732	5718			

3. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक-8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8	(1) वरिष्ठ ³ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	308	—	100 प्रतिशत	—	पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की 10 वर्ष की सेवा उपरांत पदोन्नति द्वारा
8.क	(2) पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	1100	—	100 प्रतिशत	—	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की 12 वर्ष की सेवा उपरांत पदोन्नति द्वारा
8.ख	(3) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	4310	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	—	5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात कार्य अच्छा होने के मूल्यांकन अनुसार नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण के पश्चात पदोन्नति के अवसर।"।
	कुल योग	5718				

4. अनुसूची-तीन में, जाएं, कालम 5 में, अंक "35" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, अंक "40" स्थापित किया जाए।
5. अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	(1) नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05 वर्ष	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> संयुक्त संचालक (स्थापना) संचालनालय संचालक पशु पालन द्वारा नामनिर्दिष्ट उप संचालक पशुपालन (मुख्यालय) संचालनालय उप संचालक पशु पालन (पशुचिकित्सा) संचालनालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति संवर्ग 	<ol style="list-style-type: none"> पदोन्नति हेतु नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हायर सेकण्ड्री (पुरानी पद्धति) या नवीन 10+2 पद्धति से 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु अधिकतम आयु 50 वर्ष (संचालक पशुपालन द्वारा निर्धारित दिनांक को) चयनउपरांत विभागीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य
6.क	(2) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	12 वर्ष	पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> संयुक्त संचालक (स्थापना) संचालनालय संचालक पशु पालन द्वारा नामनिर्दिष्ट उपसंचालक पशुपालन (मुख्यालय) संचालनालय उप संचालक पशुपालन (पशुचिकित्सा) संचालनालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित 	

				जनजाति संवर्ग	
6.ख	(3) पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	10 वर्ष	वरिष्ठ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	1. संयुक्त संचालक (स्थापना) संचालनालय संचालक पशु पालन द्वारा नामनिर्दिष्ट 2. उपसंचालक पशुपालन (मुख्यालय) संचालनालय 3. उप संचालक पशुपालन (पशुचिकित्सा) संचालनालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संवर्ग	- 1"

No. F 3-1/2015/35 - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, Makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Veterinary Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2006, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule-8, in sub-rule (1),-

(i) in clause (c),-

(a) in sub-clause (i), for the figure and word "38 years", the figure and word "45 years" shall be substituted;

(b) in sub-clause (ii), for the figure and word "38 years", two figure and word "45 years" shall be substituted;

(ii) in clause (i), for the figure and word "38 years", two figure and word "45 years" shall be substituted;

(iii) in clause (j), for the figure and word "38 years", the figure and word "45 years" shall be substituted.

2. In Schedule-1 for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"8.	Senior Veterinary Field Officer	-	308	308	Class III Non Ministerial	9300-34800+3600 Grade Pay (5500-175-9000)	By Promotion after 10 years of service as Veterinary Field Officer
"8-a.	Veterinary Field Officer	-	1100	1100	Class III Non Ministerial	9300-34800+3200 Grade Pay (5000-150-8000)	By Promotion after 12 years of service as Assistant Veterinary Field Officer
"8-b.	Assistant Veterinary Field Officer	986	3324	4310	Class III Non Ministerial	9300-34800+3200 Grade Pay (5000-150-8000)	After completion of 12 years of services evaluated as good
						5200-20200+2400 Grade Pay (4000-100-6000)	90% selection through Direct recruitment and 10% by Promotion from class-IV."
	Total	986	4732	5718			

3. In Schedule-II, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	Senior Veterinary Field Officer	308	-	100%		By Promotion from Veterinary Field Officer after 10 years of services.
"8-a.	Veterinary Field Officer	1100	-	100%		By Promotion from Assistant Veterinary Field Officer after 12 years of services.
"8-b.	Assistant Veterinary Field Officer	4310	90%	10%		Provision for IV class regular employee for Promotion after completion of 5 years of service evaluated as good."
	Total	5718				

4. In Schedule-III, in column (5), for the figure "35", wherever they occur, the figure "40" shall be substituted.
5. In Schedule-IV, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	Regular Class-IV Employee	5 years	Assistant Veterinary Field Officer	<p>(1) Joint Director (Establishment) Directorate, Nominated by Director, Animal Husbandry</p> <p>(2) Deputy Director, Veterinary Services, (Head Quarter) Directorate</p> <p>(3) Deputy Director, Veterinary Services, (Vety) Directorate belong to Scheduled Castes / Scheduled Tribes categories</p>	<p>1. For Promotion regular class IV employee must have passed Higher secondary (old pattern) or 12th examination under 10+2 pattern and for selection for departmental training, maximum age limit up to 50 years as on the date decided by the Director Animal Husbandry;</p> <p>2. After selection, must have passed two years departmental training courses from Departmental Assistant Veterinary Field Officer Training Institute.</p>

	Assistant Veterinary Field Officer	12 years	Veterinary Field Officer	(1) Joint Director (Establishment) Directorate, Nominated by Director Animal Husbandry (2) Deputy Director, Veterinary Services, (Head Quarter) Directorate (3) Deputy Director, Veterinary Services, (Vety) Directorate belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes categories	
"6-b.	Veterinary Field Officer	10 years	Senior Veterinary Field Officer	(1) Joint Director (Establishment) Directorate, Nominated by Director Animal Husbandry (2) Deputy Director, Veterinary Services, (Head Quarter) Directorate (3) Deputy Director, Veterinary Services, (Vety) Directorate, belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.	..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला अजीतवार, उपसचिव.